रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1976/फाल्गुन 6, 1897
No. 92] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 1976/PHALGUNA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th February 1976

S.O. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part of jute in the scheduled industry of textiles as mentioned in column (2) of the Table below on which a duty of excise shall be levied and collected as a cess for the purposes of the said Act for a period of one year commencing from the 1st March, 1976 at such rates as are specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description of classes of goods	Rate of duty of excise per tonne
(1)	(2)	(3)
1.	Carpet backing	Rs. 6·30 P. (Rupees six and paise thirty only).
2.	Hessian and jute fabrics other than sacking, carpet backing and cotton bagging	Rs. 4·50 P. (Rupees four and paise fifty only).
3.	Sacking, jute twines and yarns	Rs. 3·75 P. (Rupees three and paise seventy-five only).
4.	Cotton Bagging	Rs. 2·00 P. (Rupees two only).

[No. F. 13(25)/Lic. Pol./74]
P. C. NAYAK, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

का० आ० 141 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथावर्णित, वस्त्रों के अनुसूचित उद्योग में, सम्पूर्णतः या अंशतः पटसन से विनिर्मित या उत्पादित उस माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिस पर, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर, 1 मार्च, 1976 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	माल के वर्गों का वर्णन	प्रति मीटरी टन उत्पाद-शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	गलीचा-अस्तर	6.30 रु० (केवल छह रुपये तीस पैसे)
2.	बोरों, गलीचा अस्तर और सूती बोरा वस्त्र से भिन्न हेसियन और पटसन के कपड़े	4.50 रु० (केवल चार रुपये पचास पैसे)
3.	बोरे, पटसन रज्जु और तंतु	3.75 रु० (केवल तीन रुपये पचहत्तर पैसे)
4.	सूती बोरा वस्त्र	2.00 रु० (केवल दो रुपये)

[सं० फा० 13(25)/ल० प०/74]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976